

18-7-23

पार-वार आवाप दिलवाने के बाद भी न
तो आप न ही अपीलार्थ अधिकतर
अस्थित हूँ। पत्रावली अदम लक्ष्मी
अदम फेंकी में खारिज की जाती है।
पूर्व पारित स्थान आदेश 20.9.13 को
भी खारिज किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुभार की पत्र नंबर से मर
की जावे। वाक पाठ्या दायित्व
दस्तावे हैं।

(मु. प्रबन्धि अधिकारी)
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)